न्यायालय: विशेष न्यायाधीश (उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–03, एटा।

उपस्थित – 'कमालुद्दीन' उच्चतर न्यायिक सेवा

J.O. Code U.P. 2690

UPET010004682025

सत्र वाद संख्या–89/2025

उत्तर प्रदेश राज्य

------अभियोजन

–बनाम–

भूपेन्द्र सिंह पुत्र राकेश सिंह
निवासी–मौहल्ला साढूपुरा, थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा।

-----अभियुक्त

मु0अ0सं0–161/2010
धारा–147, 148, 149, 420, 307, 420 भा0दं0सं0
थाना–निधौलीकलॉ, जिला एटा।

संक्षिप्त विवरण	
सत्र वाद संख्या/सत्र परीक्षण संख्या	89/2025,
मुकदमा अपराध संख्या	161/2010,
धारा	147, 148, 149, 307, 420 भा०दं०सं०
थाना	निधौलीकलॉ
अभियुक्त	भूपेन्द्र
प्रतिनिधित्व (अभियोजन)	श्री सर्वेश कुमार चौहान, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता
प्रतिनिधित्व (अभियुक्त)	श्री लोकेन्द्र पाल सिंह, विद्वान अधिवक्ता
घटना की तिथि	14.07.2010
प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराये जाने की तिथि	14.07.2010
आरोप पत्र संख्या व प्रेषण की तिथि	आरोप पत्र संख्या–105/2010, दिनांक 20.07.2010,
प्रसंज्ञान की तिथि	04.01.2011
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	21.07.2011
निर्णय की तिथि	01.05.2026
निर्णय का परिणाम	दोषमुक्त

Digitally signed by KAMALUDDIN
Date: 2026.05.01 13:17:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

–निर्णय–

1– थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा की पुलिस द्वारा मु०अ०सं०–161/2010, धारा–147, 148, 149, 307, 420 भा0दं0सं0, अ०सं०–165/2010, धारा 25 आयुध अधिनियम के मामले में विवेचनोपरांत आरोप–पत्र अभियुक्तगण चन्दन सिंह, कैलाश चन्द्र गोले, लाखन सिंह लोधे एवं भूपेन्द्र सिंह के विचारण हेतु न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा को प्रेषित किये जाने पर, न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लेकर मामलें को अन्नयतः सत्र परीक्षणीय होने के आधार पर अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियॉ धारा 207 दं0प्र0सं0 के तहत् प्रदत्त कर विचारण हेतु सत्र सुपुर्द किये जाने पर मूल सत्र परीक्षण संख्या–315/2011 के रूप में संस्थित हुआ तथा विचारण के दौरान अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह के अनपस्थित हो जाने के कारण मु०अ०सं०–161/2010 धारा–147, 148, 149, 307, 420 भा0दं0सं0, थाना–निधौलीकलॉ के मामले में आदेश दिनांकित 18.01.2025 से पृथक किया गया, जिसका सत्र वाद संख्या–89/2025 है।

2– वादी एस०ओ० आर० पी० तिवारी, थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा के द्वारा तहरीर (फर्द बरामदगी) प्रदर्श क–01 दिनांक 14–07–2010 को समय 20:30 बजे दी, जो निम्नवत् हैः–

दिनांक 14.07.2010 को वह एस०ओ० आर० पी० तिवारी मय एस०आई० अजय सिंह व हमराह कां० 690 धनपाल सिंह व कां० 302 राजमणि व कां० 258 अवधेश कुमार व कां० 1200 बृजेश कुमार मय जीप सरकारी नं0 UP82C0014 चालक कां० अजयपाल के थाना हाजा से व हवाले रपट नं0 32 समय 16:30 बजे विनावर वाहन चैकिंग व तलाश वांछित अपराधी में मामूर थे कि जब वह मय हमराही फोर्स के जलेसर निधौली रोड तकुआवर तिराहे पर पहुँचे तो जरिये मुखविर खास मिली कि नुयूखेडा की तरफ से दो गाडियों जिनमें एक मार्शल सफेद रंग नम्बर HR16C2743 दूसरी गाडी लाल रंग की स्पेशिओ नम्बर HR37A7832 में सवार होकर कुछ व्यक्ति ठगी करने वाले जिनके पास नाजायज असलाह भी रखते हैं और उनके पास सोने जैसे नकली बिस्कुट जमीन में डालकर नकल बिस्कुट के बदले में औरतों से पहने हुए जेवरात को उतरवा लेते हैं। इस सूचना को सही मानकर जनता के गवाहन फराहम करने की कोशिश की गई तो भलाई बुराई के कारण जनता का कोई व्यक्ति गवाही देने को तैयार नहीं हुआ तथा अपना काम बताकर बिना नाम, पता बताये चले गये व मजबूरी वश एस0ओ0 ने मय मुखविर के मय हमराही फोर्स आपस में जामा तलाशी ले देकर इत्मीनान किया कि किसी के पास जुर्म से सम्बधित वस्तु नहीं है और गहनता से वाहन चैकिंग करने लगे थोड़ी ही देर में उक्त बताई हुई दोनो गाड़ियां दिखाई दिये, जो नौखेडा की तरफ से आ रही हैं और मुखविर इशारा करके चला गया तभी दोनों गाडियो के चालकों ने धीमी गति से पुलिस फोर्स की चैकिंग को देखकर गाडियां मोड़ने का प्रयास

किया। हम पुलिस पार्टी सड़क के दोनो तरफ फैल करके आगे बढ़े, तभी तिराहे से करीब 45 कदम की दूरी पर समय 18:15 बजे मार्शल गाडी में बैठे व्यक्तियों ने अपने को घिरा जानकर उतरकर अपने हाथों में लिये ना नाजायज असलहे से फायर करना शुरू कर दिया तभी हम पुलिस पार्टी ने दुबारा कारतूस भरने का मौका न देकर जान की परवाह न करते हुए चार व्यक्तियों को पकड़ लिया पीछे आने वाली लाल रंग की स्पेशिओ गाडी नौखेडा की तरफ फायर करके भगा ले गया। पकड़े हुए व्यक्तियों से क्रमशः नाम पता पूछते हुये जामातलाशी नियमानुसार ली गयी तो पहले ने अपना नाम चन्दन सिंह गोले पुत्र राजवीर सिंह निवासी साढूपुरा पोस्ट, निधौलीकलॉ एटा के दाहिने हाथ में पकड़े एक पोनिया देशी 12 बोर नाल लोहा करीब 2 बलिस्त जिसमें आगे निशाना साधने के लिये पत्ती लगी है एवं नीचे एक छल्ला लोहे का बाडी करीब 7 अंगुल जिसमें ऊपर चैम्बर के तमन्चा खोलने व बन्द करने की पत्ती लगी है नीचे ट्रेगर व ट्रेगर गार्ड व ऊपर हैम्मर लगा है बट करीब 7 अंगुल जिसमें दोनो तरफ लकडी की चापें स्क्रूदार कीलों से कसी हैं, तमन्चा चालू हालात में है। पोनियां को खोलकर देखा तो खोखा कारतूस फंसा है, जिसमें ताजा चलने की गन्ध आ रही है, जिसके पैन्ट की दाहिनी जेब से दो कारतूस जिन्दा रंग सफेद नं0 1 तथा सामने की जेब से एक माचिस नं0 27 बरामद हुई, जिसे खोलकर देखा तो लाल रंग के कागज में आयताकार पीली धातु का बिस्कुट बरामद हुआ है। दूसरे ने अपना नाम कैलाश चन्द्र गोले पुत्र राम भरोसे निवासी मौहल्ला झन्ती साढूपुरा कस्बा व थाना निधौलीकलॉ एटा बताया, जिसकी जामा तलाशी दाहिने हाथ में पकडे एक तमन्चा 315 बोर जिसकी नाल करीब 11 अंगुल नाल के आगे पत्ती लगी है। बाडी करीब 6 अंगुल नीचे ट्रेगर व ट्रेगर गार्ड ऊपर हैम्मर लगा है तथा बांयी तरफ तमन्चा खोलने व बन्द करने के लिये कील दार स्प्रिंग लगी है वट करीब 4 अंगुल जो दोनो तरा तरफ लकड़ी की चायें स्कूदार कील से कसी है। तमन्चा की नाल को खोलकर देखा तो बोबा कारतूस चैम्बर में फसा है, सूँघने से ताजा चलने की गन्ध आ रही है। नाल को उसी प्रकार वन्द किया गया। तमन्चा चालू हालत में है। पहने पैन्ट की दाहिनी जेब से एक कारतूस जिन्दा 315 बोर एवं पैन्ट की बांयी जेव से एक माचिस तो मार्का वरामद हुई जिसे बोलकर देखा। पहने पेन्ट का दाहिना में लिपटा पीली धातु का बिस्कुट बरामद हुआ तथा उसी जेब से 800/ रुपये नकद बरामद हुये तथा तीसरे ने तमन्चा 315 बोर जिसका नाल करीब 8 अंगुल लोहा आगे निशाना साधने की पत्ती लगी है। बाडी करीब 6 अंगुल जिसमें नीचे ट्रेगर व ट्रेगर गार्ड व ऊपर हैम्मर लगा है। बाडी में बायीं तरफ नाल को खोलने व बन्द करने के लिए स्क्रूदार कील लगी है वट करीब 5 अंगुल दोनो तरफ लकडी की चापें स्क्रूदार कील से कसी है। तमन्चा चालू हालत में बरामद हुआ तथा पहने पैन्ट की दाहिनी जेब से दो कारतूस जिन्दा 315 बोर पीतल के बरामद हुए तथा पैन्ट की जेब से नकद 650 रुपये बरामद हुए तथा चौथे ने अपना नाम भूपेन्द्र सिंह लोधे पुत्र राकेश सिंह निवासी साढूपुरा थाना

निधौलीकलॉ एटा बताया बताया, जिसके जामातलाशी से पैन्ट की दाहिनी तरफ घर्सा हुआ एक तमन्चा देशी 315 बोर नाल करीब 8 अंगुल वाडी करीब 5 अंगुल जिसके नीचे ट्रेगर व ट्रेगर गार्ड ऊपर हैम्मर लगा है तमन्चा खोलने व वन्द करने के लिये वायीं तरफ स्क्रूदार कील लगी है। बट करीब 4 अंगुल दोनो तरफ लकडी की चापें स्कूदार कील से कसी है। जो चालू हालत में है पहने पैन्ट की दाहिनी जेब से एक जिन्दा 315 बोर कारतूस बरामद हुआ एवं पहने शर्ट की सामने की जेब से एक माचिस व 510 रुपये बरामद हुए। माचिस टायप राइटर जिसमें लाल रंग के कागज में लिपटा पीतल का विस्कुट बरामद हुआ तथा मौके मार्शल गाडी नं0 HR16C2743 मिली, जिसे चन्दन सिंह ने ने गाडी अपनी बतायी अभियुक्तो से सामूहिक पूछताछ पर बताया और अपनी गलती मानते हुये जुर्म से इकवाल करते हुये बताया कि साहब हम लोग सोने के बिस्कुट नकली डालकर खास करके महिलाओं से बिस्कुट सोने का लालच देकर उनके जेवरात उतरवा लेते है और बिस्कुट उनको दे देते है तथा यह भी बताया कि पीछे वाली लाल रंग की स्पेशियो नम्बर HR37A7832 जो बच्चू उर्फ रमेश पुत्र ज्वाला प्रसाद् गोले निवासी साढूपुरा थाना निधौलीकलॉ एटा चला रहा था जो हमारा साथी है और वह अपनी गाडी को साथ में रखता है। मौका पाकर गाडी लेकर भाग गया है। पकडे चारों अभियुक्तगणों से तमन्चा व कारतूसों को रखने का लाइसेंस तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहे। अभियुक्तो को उनके जुर्म से अवगत कराते हुये मानवाधिकार आयोग एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश निर्देशों का पूर्णतया पालन किया गया है। अभियुक्तों को जुर्म से अवगत कराते हुये हिरासत पुलिस में लिया गया एवं माल बरामदा तमन्चा कारतूस एवं बिस्कुट नकली को उसी प्रकार रखकर मुल्जिमान की बरामदगी के अनुसार अलग–अलग कपडों में रखकर मौके पर सील सर्वे मुहर करके नमूना मुहर तैयार किये गये। उसके पास अभियुक्त चन्दन सिंह पुत्र राजवीर सिंह निवासी–साढूपुरा थाना निधौलीकलॉ एटा श्रीमान अपर जिलाधिकारी एटा प्रशासन एटा का वाद संख्या 1272 धारा 3 यू०पी0 गुण्डा एक्ट जिला बदर का जो जो पूर्व में चन्दन सिंह को तामील कराया जा चुका है, जिसके सम्बंध में अलग से कार्यवाही की जावेगी। फर्द का मजमून उसने बोल बोल कर एस 0 आई 0 अजब सिंह से लिखायी गयी। फर्द पढकर सुनाकर हमराही कर्मचारीगण को पढकर सुनाकर गवाही के हस्ताक्षर बनवाये जाते हैं। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्तगण के परिजनों को दी जावेगी। गिरफ्तारी मीमो तैयार किया गया।

3– वादी मुकदमा के द्वारा दिये गये फर्द बरामदगी प्रदर्श क–01 के आधार पर थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा में दिनांक 14.07.2010 को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–02 मु०अ०सं०–161/2010, धारा 147,148,149,307,420 भा0 दं0 सं0 व 25 आयुध अधिनियम, दिनांक 14.07.2010 को समय 18:15 बजे अभियुक्तगण बच्चू उर्फ रमेश, चन्दन सिंह, कैलाश चन्द्र गोले, लाखन सिंह एवं भूपेन्द्र सिंह तथा मु०अ०सं०

162/2010, धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम चरन सिंह, मु०अ०सं० 163/2010, धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम कैलाश चन्द्र भोले, मु०अ०सं० 164/2010, धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम लाखन सिंह लोधे, मु०अ०सं० 165/2010, धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम भूपेन्द्र सिंह के विरूद्ध दर्ज की गयी।

4– प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त इस मामले की विवेचना पी०डब्लू०–01 सेवानिवृत्त एस 0 आई 0 लवकुश कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 14.07.2010 को ग्रहण करते हुए पूर्व विवेचक द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करते हुए वादी आर 0 पी0 तिवारी एस 0 ओ 0, गवाह फर्द आर्म्स अजब सिंह, कॉ0 धनपाल सिंह, कॉ0 राजभाटी, कॉ0 अवधेश के बयान अंकित किये। एस 0 आई 0 अजब सिंह को साथ लेकर घटना स्थल पहुंचा व उनकी निशानदेही पर नक्शा नजरी **प्रदर्श क–3** तैयार किया गया। अभियुक्तगण चन्दन सिंह, कैलाश चन्द्र, लाखन सिंह व भूपेन्द्र सिंह के विरुद्ध पयार्प्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र संख्या 105/2010 प्रदर्श क–04 प्रेषित करते हुए अभियुक्त बच्चू उर्फ रमेश की पत्रावली शेष होने के कारण उसके विरुद्ध विवेचना जारी रखी गयी। मु०अ०सं० 165/2010 बनाम भूपेन्द्र में अभियोजन स्वीकृति **प्रदर्श क–05** डाला गया।

5– अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह उपस्थित आया। उसके विरूद्ध न्यायालय आदेश दिनांकित 21.07.2011 द्वारा धारा 147, 148, 307/149, 420 भा0 दं0 सं0 आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया और विचारण की मांग की।

6– अभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में 01 साक्षीगण को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है, जो इस प्रकार है:–

अभियोजन साक्षी का क्रमांक	**अभियोजन साक्षी का नाम**	**विवरण**
पी०डब्लू०–01	सेवानिवृत्त निरीक्षक लवकुश कुमार वर्मा	विवेचक

7– अभियोजन की ओर से अपने कथानक के समर्थन में निम्न लिखित प्रलेखों को प्रस्तुत कर साबित कराया गया है:–

क्रम सं0	**प्रपत्र का नाम**	**प्रदर्श संख्या**	**अभियोजन साक्षी का विवरण, जिनके द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को सिद्ध किया गया है।**
1	फर्द बरामदगी	प्रदर्श क–01	पी०डब्लू०–01 सेवानिवृत्त निरीक्षक लवकुश कुमार वर्मा
2	चिक एफ०आई०आर० की छायाप्रति	प्रदर्श क–02	पी०डब्लू०–01 सेवानिवृत्त निरीक्षक लवकुश कुमार वर्मा
3	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–03	पी०डब्लू०–01 सेवानिवृत्त निरीक्षक

			लवकुश कुमार वर्मा
4	आरोप पत्र एस0सी0 नं0 89/2025	प्रदर्श क–04	पी०डब्लू०–01 सेवानिवृत्त निरीक्षक लवकुश कुमार वर्मा
5	अभियोजन स्वीकृति आदेश एस0सी0 सं0 89/2025	प्रदर्श क–05	पी०डब्लू०–01 सेवानिवृत्त निरीक्षक लवकुश कुमार वर्मा

8– अभियोजन पक्ष की साक्ष्य समाप्ति पर अभियुक्त का कथन अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 दिनांक 16.04.2025 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए कथन किया है कि घर से उठाकर गिरफ्तार किया झूंठी बरामदगी दिखायी गयी है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–01 के कथानक को झूंठी एफ०आई०आर० दर्ज करने तथा झूंठी बरामदगी दिखाने तथा फर्जी कार्यवाही करना बताया है। साक्षीगण के साक्ष्य के सम्बन्ध में अभियुक्त ने कथन किया है कि झूंठी गवाही देना बताया है। अभियोग को पुलिस की नाराजगी के कारण चलना बताया है। सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया है तथा कथन किया है कि झूंठा फंसा दिया है।

9– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये मौखिक साक्ष्यों के कथन संक्षेप में इस प्रकार है–

10– अभियोजन पक्ष की ओर से सर्वप्रथम साक्षी **पी०डब्लू०–01 सेवानिवृत्त निरीक्षक लवकुश कुमार शर्मा** को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 14.07.2010 को मैं थाना जलेसर पर बत्तौर उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उक्त दिनांक को थाना निधौली कलों पर तैनात थाना प्रभारी आर०पी० तिवारी में हमराहीगणों के सरकारी जीप से वांछित अपराधी चैकिंग में मामूर थे तभी जलेसर निधौलीकलॉ सूचना मिली कि नूखेडा की तरफ से दो गाडियां एक मार्शल एक स्पेशियों जिसका नम्बर फर्द के निधौली रोड पर द्वारा मुखिवर मुताबिक सवार होकर कुछ व्यक्ति ठगी करने के लिए मौजूद है, जिनके पास नाजायज हथियार है। उनके पास सोने जैसे नकली बिस्कुट मौजूद है, जो औरतों को बहलाकर सोने जैसे नकली बिस्कुट दिखाकर उनके जेवर उतारवा लेते है। इस सूचना को सही मानकर गवाह फराहान करने की कोशिश की कोई तैयार नहीं हुआ। थाना प्रभारी आर० पी० तिवारी ने आपस में जामा तलाशी लेते हुए मुखिवर द्वारा बताई गई जगह पर चले तो मुखविर ने दोनों गाडियों दिखाई और इशारा करके चला गया। पुलिस वालों को देखकर गाडियों चालकों ने गाडियों को मोडने का प्रयास किया। पुलिस पार्टी ने सड़क के दोनों तरफ फैल कर आगे बड़े तभी तिराहे से 45 कदम की दूरी पर मार्शल गाड़ी में बैठे हुए व्यक्तियों ने अपने को घिरा जानकर उतरकर अपने अपने हाथों में लिए नाजायज असलहों से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। तभी पुलिस पार्टी ने मौका न देते हुए चार व्यक्तियों को पकड लिया। लाल रंग की स्पेशियों गाडी पीछे की तरफ कर के

भगा ले गया। पकडे हुए चारों व्यक्तियों के नाम पता पूंछते हुए जामा तलाशी ली तो पहले व्यक्ति ने चंदन पुत्र राजवीर जिसके दाहिने हाथ से एक 2 बोर पौनिया जिसकी नाल में खोखा कारतूस फंसा था। दाहिनी जेब से 2 जिन्दा कारतूस व एक माचिस बरामद हुई। जिसे खोलकर देखा तो पीली धातू का एक बिस्कुट बरामद हुआ। दूसरे ने कैलाश पुत्र रामभरोसे जिसकी जामा तलाशी में दायें हाथ में एक तमंचा 315 बोर नाल में खोखा कारतूस मिला। पैंट की दाहिनी जेब से एक जिन्दा कारतूस 315 बोर व बांयी जेब से एक माचिस जिसके अन्दर एक पीली धातु का एक बिस्कुट बरामद हुआ एवं उसकी जेब से 800/– रूपये बरामद हुए। तीसरे ने अपना नाम लाखन पुत्र फूल सिंह बताया और जामा तलाशी में एक तंमचा 315 बोर पैट की दायी जेब से 2 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 650/– रूपये बरामद हुए। चौथे ने अपना नाम भूपेन्द्र पुत्र राकेश बताया जामा तलाशी लेने पर पैंट की फॅट में घुसा तंमचा 315 बोर बरामद हुआ और दांयी जेब से एक जिन्दा कारतूस व शर्ट की जेब से मु0 510 रूपये तथा एक माचिस बरामद हुई। माचिस के अन्दर एक पीला बिस्कुट निकला। मौके से एक मार्शल गाडी मिली जिसे चंदन ने अपना बताया। यह बताया कि स्पेशियों गाडी जो मौके से भगा ले गया है उसे बच्चू उर्फ रमेश चला रहा था। बरामदशुदा माल को कपड़े में रखकर सील सबै मुहर किया गया था। मौके पर ही फर्द एस०ओ० के बोलने पर एस०आई० अजब सिंह से तैयार कराई थी। जो छायाप्रति पत्रावली पर कागज स 11 अ/1 लगायत 11 अ/2 के रूप में मौजूद है, जो अजब सिंह एस०आई० के हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–01 डाला गया। जिसकी मूल प्रति सम्बंधित पत्रावली में एस०टी० से 315/2011 राज्य बनाम बच्चू उर्फ रमेश की कागज से 4 अ/1 लगायत 4 अ/2 के रूप में मौजूद है। उक्त मुकदमा की चिक एफ०आई०आर का० रामबृज ने फर्द के आधार पर तैयार की थी, जिसकी छायाप्रति पत्रावली पर कागज स 10 अ/1 लगायत 10 अ/4 केरूप में मौजूद है, जिस पर प्रदर्श क–02 डाला गया, जिसकी मूल प्रति सम्बंधित पत्रावली में एस०टी० से 315/2011 राज्य बनाम बच्चू उर्फ रमेश की कागज से 3 अ/1 लगायत 3 अ/3 के रूप में मौजूद है, जिसका खुलासा जी०डी कायमी में किया गया था। उक्त मुकदमा की प्रारम्भिक विवेचना थाना निधौलीकलॉ के नियुक्त उपनिरीक्षक के द्वारा की गई थी, जिनके द्वारा पर्चा सं 01 दिनांक 15.07.2010 को किता गया, जिसमें नकल चिक नकल रपट बयान एफ०आई०आर० लेखक गिरफतारशुदा अभियुक्तगण चंदन सिंह, कैलाश, लाखन सिंह व भूपेन्द्र का बयान अंकित किया गया था। तदोपरान्त दिनांक 17.07.2010 को अभियोग की विवेचना सी०ओ० जलेसर के आदेश दिनांक 16.07.2010 के द्वारा उसे थाना जलेसर पर प्राप्त हुई। दिनांक 17.07.2010 को ही उसने पर्चा नम्बर 02 किता कर विवेचना ग्रहण की तथा निधौलीकलॉ जाकर वादी श्री आर०पी० तिवारी थानाध्यक्ष निधौलीकलां एस०आई० अजब सिंह का० धनपाल, राजमणि, अवधेश के कथन अंकित किये तथा एस०आई अजब

सिह की निशानदेही पर घटना स्थल पर पहुँच कर नक्शा नजरी उसके द्वारा तैयार किया गया। नक्शा नजरी की छायाप्रति पत्रावली पर कागज सं 9 अ /1 के रूप में मौजूद है, जिसे वह अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करता है, जिस पर प्रदर्श क–03 डाला गया। जिसकी मूल प्रति सम्बंधित पत्रावली में एस 0 टी0 से 315/2011 राज्य बनाम बच्चू उर्फ रमेश की कागज सं0 7 अ/1 के रूप में मौजूद है। समाई साक्षी रामपाल सिंह के कथन अंकित किये। विवेचना स्थानान्तरण आदेश व नक्शा नजरी एवं केस डायरी के साथ संलग्न किया। पर्चा सं–03 दिनांक 20.07.2010 को किता किया, जिसमें विवेचनात्मक विश्लेषण क्रम में पर्याप्त साक्ष्य संकलित करने के उपरान्त गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण चंदन सिंह कैलाश, लाखन सिंह, व भूपेन्द्र सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र सं0–105 / 2010 धारा 147, 148, 149, 307, 420 भा०दं०सं० का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। आरोप पत्र की छायाप्रति पत्रावली पर कागज स 3 अ/2 उसके लेख व हस्ताक्षर में मौजूद है, जिसे वह आज अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करता है, पर प्रदर्श क–04 डाला गया। मूल आरोप पत्र की मूल प्रति सम्बंधित पत्रावली में एस०टी० सं०–15/2011 राज्य बनाम बच्चू उर्फ रमेश की कागज से 3 अ/2 के रूप में मौजूद है। अभियुक्त बच्चू सिंह की गिरफतारी शेष होने के कारण उसके विरूद्ध विवेचना प्रचलित रही। दिनांक 20.07.2010 को ही अभियुक्त भूपेन्द्र सिहं के विरूद्ध आरोप पत्र 109/2010 धारा 25 आयुध अधिनियम मुकदमा अपराध सं0–165/2010 में प्रेषित किया गया था, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है। सम्बंधित जिसकी मूल प्रति सम्बंधित पत्रावली में एस०टी० सं 318/2011 राज्य बनाम भूपेन्द्र धारा 25 आयुध अधिनियम में कागज से 3 अ के रूप में मौजूद है। अभियुक्त भूपेन्द्र के विरूद्ध धारा 25 आयुध अधिनियम में मुकदमा चलाये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय से अभियोजन स्वीकृति दिनांक 12.08.2010 को ली गई। अभियोजन स्वीकृति की मूल प्रति सम्बंधित पत्रावली में एस०टी० सं 318/2011 राज्य बनाम भूपेन्द्र धारा 25 आयुध अधिनियम में कागज से 6 अ के रूप में मौजूद है, जिस पर प्रदर्श क–05 डाला गया।

11– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि थाने से रवानगी का समय उसे याद नहीं है। वादी का बयान लेने का समय याद नहीं है। स्पेशियों गाड़ी उसने दौराने विवेचना उसने देखी थी या नहीं उसे ध्यान नहीं है। भूपेन्द्र का सबसे पहले किसने पकड़ा था। आज उसे याद नहीं है। उसे गवाहों ने सभी अभियुक्त के द्वारा फायर करने बारे में बताया था। लेकिन किसी भी गवाह ने ये नहीं बताया कि भूपेन्द्र ने ही फायर किया या नहीं। अभियुक्त भूपेन्द्र से कोई खोखा कारतूस फर्द के मुताबिक बरामद नहीं हुआ। फायर की कोई चोट किसी के शरीर पर होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला। मौके से कोई भी जनता का चश्मदीद गवाह नहीं है। सभी पुलिस वाले गवाह है। सील तमंचा जो भूपेन्द्र से बरामद हुआ था। उसने देखा था, तारीख उसे याद नहीं है। किसकी सील मुहर से सील था, उसे आज

याद नहीं है। कारतूस भी तमंचा के साथ ही बंडल में सील था। उसने विवेचना के दौरान तमंचा खोल कर नहीं देखे थे। फर्द के अनुसार बता रहा है कि 315 बोर के कारतूस थे। धारा 25 आयुध अधिनियम की विवेचना उसके द्वारा की गयी थी। यह कहना गलत है कि उसके द्वारा थाने पर बैठकर ही विवेचना पूर्ण की गयी है। यह कहना भी गलत है कि अभियुक्त भूपेन्द्र से तमंचा बरामद होने के सम्बन्ध में झूंठे बयान लिखकर गलत आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया है।

12– अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता "दाण्डिक" ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा है कि वादी मुकदमा एस०ओ० आर०पी० तिवारी तथा अधीनस्थ अन्य पुलिस कर्मियों पर अभियुक्त व सह–अभियुक्तगण द्वारा एक राय मशवरा होकर आयुधों से सज्जित होकर बल्बा करते हुए तमंचे से जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिससे वे बाल–बाल बच गये तथा अभियुक्त व सह–अभियुक्तगण को घेर कर आवश्यक बल प्रयोग कर पुलिस कर्मियों द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त चन्दन सिंह गोले के कब्जे से एक पौनिया देशी 12 बोर, जिसकी नाल में एक कारतूस खोखा 12 बोर व पहले हुए पेंट की दाहिनी जेब से 02 अदद कारतूस 12 बोर जिन्दा व अभियुक्त कैलाश के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व नाल में फंसा एक खोखा कारतूस तथा पहनी पेंट की दाहिनी जेब से 01 अदद कारतूस 315 बोर जिंदा एवं अभियुक्त लाखन के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर तथा पहनी पेंट की दाहिनी जेब से 02 अदद कारतूस 315 बोर जिंदा बरामद हुए। अभियोजन द्वारा अपना मामला युक्ति–गुक्त सन्देह से परे साबित किया गया है। तद्नुसार दोष–सिद्ध किये जाने की याचना की गयी है।

13– अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण पुलिसकर्मी है, जिनके बयानों में विरोधाभास है तथ्य का कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है व अभियुक्त से बरामद तमंचा व कारतूस को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा गया है, जिससे अभियोजन कथानक सन्देहास्पद हो जाता है।

14– अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि तमंचे से फायर हुआ होता तो पुलिस अवश्य घटनास्थल से छर्रे वगैरहा बरामद करती। पत्रावली में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे प्रकट होता हो कि अभियुक्त के द्वारा कथित तमंचे से फायर किया गया। जनता का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है, जब कि घटनास्थल सार्वजनिक स्थान है। ऐसी दशा में अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने के हकदार है।

15– मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का परिशीलन व प्रपत्रों का अवलोकन किया।

16– इस सत्र वाद के निराकरण के लिए मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु यह हैं कि :–

(i)– **क्या अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ दिनांक 14–07–2010 को समय सुबह 18:15 बजे व स्थान ग्राम तकुआवर मोड़, अन्तर्गत क्षेत्र थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा में विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उददेश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग कर बल्बा कारित किया गया ?**

(ii)– **क्या अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ दिनांक 14–07–2010 को समय सुबह 18:15 बजे व स्थान ग्राम तकुआवर मोड़, अन्तर्गत क्षेत्र थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा में विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उददेश्य को अग्रसर करने में घातक आयुधो से सज्जित होकर बल्बा कारित किया गया ?**

(iii)– **क्या अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ दिनांक 14–07–2010 को समय सुबह 18:15 बजे व स्थान ग्राम तकुआवर मोड़, अन्तर्गत क्षेत्र थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा में विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उददेश्य के अग्रसरण में वादी मुकदमा एस०ओ० आर०पी० तिवारी व उनके अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को जान से मारने की नीयत से घातक आयुधों से फायर कर हत्या का प्रयत्न कारित किया गया ?**

(iv)– **क्या अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ दिनांक 14–07–2010 को समय सुबह 18:15 बजे व स्थान ग्राम तकुआवर मोड़, अन्तर्गत क्षेत्र थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा में अथवा उसके पूर्व महिलाओं को नकली सोने के बिस्कुट देकर उनके असली सोने के जेवरात उतरवाने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित कर छल कारित किया गया ?**

–निष्कर्ष–

17– प्रकरण में आये साक्ष्य के अवलोकन के उपरान्त साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एवं उचित कमबन्धन की दृष्टि से उपरोक्त सभी विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

18– अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 14.07.2010 को वह एस 0 ओ 0 आर० पी० तिवारी मय एस 0 आई 0 अजय सिंह व हमराह कां० 690 धनपाल सिंह व कां० 302 राजमणि व कां० 258 अवधेश कुमार व कां० 1200 बृजेश कुमार मय जीप सरकारी नं0 UP82C0014 चालक कां० अजयपाल के थाना हाजा से व हवाले रपट नं0 32 समय 16:30 बजे विनावर वाहन चैकिंग व तलाश वांछित अपराधी में मामूर थे कि जब वह मय हमराही फोर्स के जलेसर निधौली रोड तकुआवर तिराहे पर पहुँचे तो जरिये मुखविर खास मिली कि नुयूखेडा की तरफ से दो गाडियों जिनमें एक मार्शल सफेद रंग नम्बर HR16C2743 दूसरी गाडी लाल रंग की स्पेशिओ नम्बर HR37A7832 में सवार होकर कुछ

व्यक्ति ठगी करने वाले जिनके पास नाजायज असलाह भी रखते हैं और उनके पास सोने जैसे नकली बिस्कुट जमीन में डालकर नकल बिस्कुट के बदले में औरतों से पहने हुए जेवरात को उतरवा लेते हैं। इस सूचना को सही मानकर जनता के गवाहन फराहम करने की कोशिश की गई तो भलाई बुराई के कारण जनता का कोई व्यक्ति गवाही देने को तैयार नहीं हुआ तथा अपना काम बताकर बिना नाम, पता बताये चले गये व मजबूरी वश एस0ओ0 ने मय मुखविर के मय हमराही फोर्स आपस में जामा तलाशी ले देकर इत्मीनान किया कि किसी के पास जुर्म से सम्बधित वस्तु नहीं है और गहनता से वाहन चैकिंग करने लगे थोड़ी ही देर में उक्त बताई हुई दोनो गाड़ियां दिखाई दिये, जो नौखेडा की तरफ से आ रही हैं और मुखविर इशारा करके चला गया तभी दोनों गाडियो के चालकों ने धीमी गति से पुलिस फोर्स की चैकिंग को देखकर गाडियां मोड़ने का प्रयास किया। हम पुलिस पार्टी सड़क के दोनो तरफ फैल करके आगे बढ़े, तभी तिराहे से करीब 45 कदम की दूरी पर समय 18:15 बजे मार्शल गाडी में बैठे व्यक्तियों ने अपने को घिरा जानकर उतरकर अपने हाथों में लिये ना नाजायज असलहे से फायर करना शुरू कर दिया तभी हम पुलिस पार्टी ने दुबारा कारतूस भरने का मौका न देकर जान की परवाह न करते हुए चार व्यक्तियों को पकड़ लिया पीछे आने वाली लाल रंग की स्पेशिओ गाडी नौखेडा की तरफ फायर करके भगा ले गया। उक्त सूचना के आधार पर अभियुक्तगण को पकड़ा गया और उनके पास से फर्द बरामदगी प्रदर्श क–01 में अंकित तमंचा तथा कारतूस बरामद हुआ, जिसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध होकर मामले में विवेचना की गयी और विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र संस्थित किया गया, जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। उसके पश्चात आरोप विरचित कर विचारण सम्पन्न किया गया।

19– उपरोक्त आरोपों को साबित करने के उद्देश्य से अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में तथ्य के साक्षी सेवानिवृत्त निरीक्षक लवकुश शर्मा (पी०डब्लू०–01) को परीक्षित कराया गया है।

20– अभियोजन साक्षी सेवानिवृत्त निरीक्षक लवकुश शर्मा (पी०डब्लू०–01) के द्वारा न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षा में कथानक का समर्थन किया है तथा जिरह के पेज क्रमांक–03 पर कथन किया है कि थाने से रवानगी का समय उसे याद नहीं है। वादी का बयान लेने का समय याद नहीं है। स्पेशियों गाड़ी उसने दौराने विवेचना उसने देखी थी या नहीं उसे ध्यान नहीं है। भूपेन्द्र का सबसे पहले किसने पकड़ा था, आज उसे याद नहीं है। उसे गवाहों ने सभी अभियुक्त के द्वारा फायर करने बारे में बताया था, लेकिन किसी भी गवाह ने ये नहीं बताया कि भूपेन्द्र ने ही फायर किया या नहीं। अभियुक्त भूपेन्द्र से कोई खोखा कारतूस फर्द के मुताबिक बरामद नहीं हुआ। फायर की कोई चोट किसी के शरीर पर होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला। मौके से कोई भी जनता का चश्मदीद गवाह नहीं है। सभी पुलिस

वाले गवाह है। सील तमंचा जो भूपेन्द्र से बरामद हुआ था। उसने देखा था, तारीख उसे याद नहीं है। किसकी सील मुहर से सील था, उसे आज याद नहीं है। कारतूस भी तमंचा के साथ ही बंडल में सील था। उसने विवेचना के दौरान तमंचा खोल कर नहीं देखे थे। फर्द के अनुसार बता रहा है कि 315 बोर के कारतूस थे। धारा 25 आयुध अधिनियम की विवेचना उसके द्वारा की गयी थी।

21– अभियोजन द्वारा पत्रावली पर धारा 39 आयुध अधिनियम के अंतर्गत जारी अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रदर्श क–05 को पी०डब्लू०–01 सेवानिवृत्त निरीक्षक लवकुश कुमार शर्मा द्वारा प्रदर्शित कराया गया है। उक्त साक्षी के द्वारा तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, एटा के हस्ताक्षर की न तो पहचान की गयी है और न ही ऐसा कोई कथन किया गया है कि उक्त साक्षी अभियोजन स्वीकृति जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर से परिचित है। अभियोजन द्वारा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय एटा से किसी अधिकारी/कर्मचारी को आहूत कर उक्त स्वीकृति आदेशों को साबित नहीं कराया गया है। ऐसी दशा में अभियोजन स्वीकृति प्रमाणित न होने के कारण उस पर विचार नहीं किया जा सकता।

22– पत्रावली में आई साक्ष्य से यह प्रकट है कि अभियोजन द्वारा जिन तमंचों को जब्त करना बताया जा रहा है, उसे विशेषज्ञ जाँच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा गया। इस सम्बन्ध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की कोई रिपोर्ट अभिलेख नहीं है। फर्द बरामदगी प्रदर्श क–01 में जब्ती के तथ्य को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष कोई सम्पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। घटनास्थल जहाँ बताया गया है वह निधौली जलेसर रोड तकुआवर मोड़ पर स्थित है, जिसका उल्लेख नक्शा नजरी प्रदर्श क–02 में है। उक्त घटनास्थल के बगल में भटठा भी होना दर्शित है, जहॉ पर लोग काम भी कर रहे थे। अभियोजन साक्षीगण के द्वारा न्यायालय के समक्ष कथन किया गया है कि घटनास्थल पर लोग आ जा रहे थे। इसके बावजूद किसी स्वतंत्र साक्षी को फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 की कार्यवाही के समय उपस्थित न होना अभियोजन कथानक में सन्देह उत्पन्न करता है। विवेचक लवकुश कुमार शर्मा (पी०डब्लू०–01) के द्वारा न्यायालय के समक्ष किये गये कथन में यह ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया गया है कि विवेचना के दौरान पब्लिक के गवाह को तलाशने की कोशिश की हो, जबकि विवेचक का यह कर्तव्य था कि वह विवेचना के प्रक्रम पर घटना स्थल के आसपास के लोगों से पूँछतांछ करता, परन्तु ऐसा कोई प्रयास विवेचक के द्वारा नहीं किया गया है, जो विवेचना में सन्देह उत्पन्न करता है। इसके अतिरक्त फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 को तैयार किये जाते समय भी वादी मुकदमा व हमराहीगण के द्वारा भी किसी जनसाक्षी को बुलाये जाने का प्रयास न किया जाना अभियोजन कथानक में संदेह उत्पन्न करता है।

23– यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ पुलिस बल पर तमंचे से फायर किया जाना अभियोजन द्वारा कहा जा रहा है, परन्तु किसी भी पुलिस कर्मी को कोई चोट नहीं पहुँची है। अभियोजन साक्षीगण के कथनानुसार घटना स्थल के पास लोग आ–जा रहे थे, यदि कोई व्यक्ति तमंचे से नजदीक से फायर करे तो सम्भावना है कि किसी न किसी व्यक्ति को गोली अथवा छर्रे लगेंगे। घटना में कोई भी पुलिस कर्मी आहत नहीं हुआ है। नक्शा–नजरी प्रदर्श क–03 में वर्णित घटनास्थल पर चली हुई गोली या उसके छर्रे बरामद नहीं किये गये हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण साक्ष्य था।

24– अभियुक्त पर महिलाओं को नकली सोने की बिस्कुट देकर उनके असली सोने के जेवरात उतारने के लिए महिलाओं को बेईमानी से उत्प्रेरित कर छल कारित करने का भी आरोप है, परन्तु अभियोजन के द्वारा किसी भी ऐसी महिला को साक्षी के रूप में परीक्षित नहीं किया गया है, जिसके साथ अभियुक्त के द्वारा छल कारित किया गया हो। अभियुक्त के पास से नकली या असली सोने के कोई जेवरात भी बरामद नहीं हुए हैं। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे परिलक्षित होता हो कि अभियुक्त के द्वारा महिलाओं को बेईमानी से उत्प्रेरित कर छल कारित किया गया।

25– इसके अतिरिक्त यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जब पुलिस का कोई अधिकारी थाने से रवाना होता है उसकी रवानगी का इन्द्राज रोजनामचा में होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों में पुलिस बल की रवानगी का कोई रोजनामचा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो अभियोजन कथानक को सन्देहास्पद बनाता है।

26– विधि व्यवस्था **रामपाल प्रति उ०प्र० राज्य 2005 (52) ए०सी० सी० 458** में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जी०डी० रवानगी पुलिस कर्मचारियों की घटनास्थल पर उपस्थिति दर्ज कराने हेतु एक अहम दस्तावेज है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त सम्मानित निर्णयज के पैरा–10 में यह अवधारित किया गया है कि यदि जी०डी० रवानगी अभियोजन द्वारा दाखिल कर सिद्ध नहीं की गयी है तो पुलिस कर्मचारीगण की घटनास्थल पर उपस्थिति संदिग्ध हो जाती है।

27– फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 में स्वतंत्र साक्षी के रूप में किसी भी साक्षी के नाम का उल्लेख नहीं है और यह भी उल्लेख नहीं है कि जनता के किस गवाह को साक्षी के रूप में उपस्थिति के बाबत पुलिस बल द्वारा अनुरोध किया गया।

28– विधि व्यवस्था **बचन सिंह प्रति उ०प्र० राज्य 2005 (52) ए०सी०सी० 916** में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि पुलिस ने वास्तविक रूप से जनता के गवाह के लिए प्रयास किया और कोई इसके लिए तैयार नहीं हुआ तो उन्हें निश्चित ही उनके नाम लिखने चाहिए और यदि ऐसा नहीं है तो जनसाक्षी की अनुपस्थिति में गिरफ्तारी/बरामदगी अभियोजन कथानक के लिए घातक होगी।

29– विधि व्यवस्था **नारायन सिंह प्रति उ०प्र० राज्य** 2005 (52) **ए०सी०सी०** 902 में माननीय उच्चन्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि गिरफ्तारी/बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह न होने से अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है।

30– इसके अतिरिक्त विधि व्यवस्था **ध्यान सिंह प्रति उ०प्र० राज्य** 2006(55) **ए०सी० सी०** 211 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि गिरफ्तारी/बरामदगी का कोई जनसाक्षी नहीं है, साथ ही साथ यह भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि समस्त गवाह पुलिस के कर्मचारी हैं और किसी स्वतंत्र व्यक्ति को साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है तो ऐसे में अभियोजन कथानक पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

31– हस्तगत प्रकरण में साक्षी विवेचक सेवानिवृत्त निरीक्षक लवकुश कुमार शर्मा (पी०डब्लू०–01) के कथनों तथा फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 में उल्लिखित तथ्यों में गम्भीर विरोधाभास है। फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि अभियुक्त की जामा तलाशी से पहले पुलिस बल के द्वारा स्वयं की जामा तलाशी आपस में ली गयी हो। जब्ती के समय जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी भी पुलिस के द्वारा नहीं बनाया गया है। अभियोजन द्वारा पौनिया, तमंचे व कारतूस की जब्ती को युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित नहीं किया जा सका है। अभियोजन साक्षी के कथनों में गम्भीर विरोधाभास होने के कारण अभियोजन यह तथ्य स्थापित नहीं कर सका है कि दिनांक 14–07–2010 को अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया गया।

32– इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों साक्ष्यों व उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन पक्ष युक्ति–युक्त सन्देह से परे यह साबित करने में असफल रहा है कि दिनांक 14–07–2010 को अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ वादी मुकदमा आर०पी० तिवारी व अन्य पुलिस कर्मियों के ऊपर पौनिया 12 बोर व 315 बोर के तमंचे से विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उददेश्य के अग्रसरण में घातक आयुधों से सुसज्जित होकर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया तथा महिलाओं के साथ छल कारित किया गया। अतः अभियुक्त आरोपित आरोप अंतर्गत धारा 147, 148, 307/149, 420 भा०दं०सं० के आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

–आदेश–

अभियुक्त **भूपेन्द्र सिंह** को **सत्र वाद संख्या–89/2025**, मुकदमा **अ०सं०–161/2010**, थाना **निधौलीकलॉ**, जनपद **एटा** के आरोप अंतर्गत धारा **147, 148,**

307/149, 420 भा०दं०सं० के दण्डनीय अपराध से सन्देह का लाभ देते हुए **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है। अभियुक्त के निजी बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 ए (धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के प्रावधान के अनुपालन में मुव0–20,000/–रूपये (बीस हजार रूपये) के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि की दो जमानते न्यायालय में अन्दर सप्ताह दाखिल करें कि इस निर्णय के विरूद्ध कोई अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करने पर अभियुक्त अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

दिनांक 01–05–2026

(कमालुद्दीन)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–03, एटा।
J.O. Code U.P. 2690

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

दिनांक 01–05–2026

(कमालुद्दीन)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–03, एटा।
J.O. Code U.P. 2690